सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 71/सो.आ.नि.–318/14
दिनाँकः 20 मई, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः सोशल आडिट टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण।

महोदय,

मनरेगा योजना के अन्तर्गत सोशल आडिट टीमों के गठन विषयक इस निदेशालय के पत्र संख्या 413/सो.आ.नि.–318/2013 दिनांक 9–12–2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या 2465/अड़तीस–7–2013–200नरेगा/2009 दिनांक 06–09–2013 के अनुपालन में सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु जिला विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग सभी जनपदों में टीमों के गठन की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है। अतः वर्ष 2014–15 में सोशल आडिट की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु टीमों के लिए इसी माह के अन्तिम सप्ताह से त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

2– दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के सहयोग से सोशल आडिट टीम के सदस्यों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन संलग्न कार्यक्रमानुसार दिनांक 26 मई, 2014 से प्रारम्भ होगा। प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक जनपद के आगे इंगित एस0आई0आर0डी0 के नियंत्रणाधीन प्रशिक्षण संस्थान में की जाएगी।

3– टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण के दौरान एक दिन व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के सहयोग से किसी चयनित ग्राम पंचायत का भ्रमण भी कराया जाएगा। एस0आई0आर0डी0 के नामित प्राधिकारी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों/सोशल आडिट टीम के सदस्यों के ठहरने एवं उनके जलपान, भोजन तथा पाठ्य सामग्री आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों को आने–जाने हेतु रू0 100/– प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से यात्रा व्यय का भुगतान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाएगा।

4– आपसे अनुरोध है कि संलग्न कार्यक्रम के अनुसार अपने जनपद के चयनित सोशल आडिट टीम के सदस्यों को निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र पर 03 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रशिक्षण की व्यवस्था में एस0आई0आर0डी0 के प्राधिकृत अधिकारी को समुचित सहयोग देने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों, विशेषकर जिला विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी को भी यथोचित निर्देश देने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

Rks/Gen.letter/Desktop

प्रतिलिपि :—
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ।
2— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(शंकर सिंह)
निदेशक।

Rks/Gen.letter/Desktop

जनपदवार संलग्नक डाउनलोड करें।